रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 1995/चैत्र 1, 1917
No. 123] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 1995/CHAITRA 1, 1917

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1995

सा.का.नि. 286 (अ) :— मोटर यान (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) संशोधन नियम, 1951 का प्रारुप (जिसे केन्द्रीय सरकार मोटर-यान अधिनियम, 1988 (1988 का 50) की धारा 88 की उपधारा (14) और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 19 अगस्त, 1994 में अधिसूचना सा.का.नि. 648 (अ) तारीख 19 अगस्त 1994 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन के भीतर मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 9-1-1995 को उपलब्ध करा दी गई थीं और प्राप्त किए गए आक्षेपों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उपधारा (14) और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटरयान (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) नियम, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्न-लिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटरयान (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) संशोधन नियम, 1995 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मोटरयान (पर्यटन परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) नियम, 1993 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 में, (i) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

698 GI/95—1.

(झ) "पर्यटक परिवहन आपरेटर" से अभिप्रेत है :—

(क) ऐसी कंपनी या ऐसा व्यष्टि, जो पर्यटक परिपथों पर पर्यटक परिवहन यानों की व्यवस्था करके पर्यटन के संवर्धन के कारबार में लगी हुई है या लगा हुआ है ; या

(ख) किसी कंपनी या किसी व्यष्टि द्वारा चलाया जा रहा कोई ऐसा यात्रा अभिकरण (जिसके पास अपना यान है या जिसने यान को इस प्रयोजन के लिए कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर लिया है), जो वायु, रेल, पोत द्वारा यात्रा के लिए सभी टिकटों, पासपोर्ट वीजा की व्यवस्था करता है और वास-सुविधा, पर्यटन, मनोरंजन तथा अन्य पर्यटन से संबंधित सेवाओं की भी व्यवस्था करता है, या

(ग) ऐसा पर्यटन आपरेटर (कंपनी या व्यष्टि), जो परिवहन, वास-सुविधा, दृश्य दर्शन, मनोरंजन और पर्यटकों के लिए अन्य पर्यटन से संबंधित सेवाओं की व्यवस्था करता है तथा जिसके पास अपना यान है या जिसके यान को इस प्रयोजन के लिए कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर लिया है और वह भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ज)" "पर्यटक परिपथ" से अभिप्रेत है, पर्यटक की की अभिरुचि के वे सभी स्थान जो उस राज्य में स्थित हैं जिनके लिए मान्यता-प्राप्त पर्यटक परिवहन आपरेटर द्वारा पर्यटन पैकेज तैयार किए जाते हैं और विक्रय किए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण :— शंकाओं के निराकरण के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पर्यटक परिपथों के अन्तर्गत आने वाला परमिट पूरे राज्य में विधिमान्य होगा ।

3. उक्त नियम के नियम 10 में "35" अंकों के स्थान पर "39" अंक रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियम में, चौथी अनुसूची, पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

चौथी अनुसूची

[नियम 15 (1) देखिए]

अ. अनुमोदित पर्यटक परिवहन आपरेटर के रूप में मान्यता के लिए पात्रता-शर्तें ।

1. मान्यता के लिए सभी आवेदन पर्यटन महानिदेशक परिवहन भवन, सं. 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पते पर भेजे जाएंगे ।

2. (i) मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन विहित प्ररूप में होंगे ।

(ii) आवेदक, आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम दो वर्ष की अवधि तक पर्यटक परिवहन भाड़ा कारबार में रहा हो ।

(iii) पर्यटक परिवहन, आपरेटर ने उपर्युक्त दो वर्ष की अवधि में पर्यटक यानों के लिए संबद्ध राज्य परिवहन प्राधिकरण / सड़क परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कम से कम तीन पर्यटक परमिट प्रचालित किया हो । इन तीन पर्यटक यानों में कम से कम एक कार अवश्य होनी चाहिए ।

(iv) आवेदक को पर्यटक को विमान पत्तन, रेल स्टेशनों, आदि से स्थानान्तरित करने के लिए तथा विदेशी और देशी दोनों पर्यटकों को दृश्य-दर्शन कराने के लिए पर्यटन परिवहन यानों का प्रबन्ध करने की पर्याप्त जानकारी हो ।

(v) पर्यटक यानों के ड्राइवरों के पास उचित वर्दी हो और पर्यटक को दृश्य-दर्शन के लिए ले जाने की पर्याप्त जानकारी हो ।

(vi) आवेदक के पास यानों के लिए समुचित पार्किंग स्थान हो ।

(vii) पर्यटक परिवहन आपरेटर, पर्यटक परिवहन यानों को प्रचालित करने का कारबार चलाने के लिए समुचित प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत हो ।

3. (क) पर्यटक परिवहन कारबार चलाने की दो वर्ष की अवधि को उन आवेदकों की दशा में एक वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी जिन्होंने उचित राज्य परिवहन प्राधिकरण/सड़क परिवहन प्राधिकरण परमिटों पर एक वर्ष के लिए पांच पर्यटक यानों को चलाया है । ये पांच पर्यटक यान कारों/वातानुकूलित कोचों/मिनी कोचों / नौकाओं में से किसी को मिलाकर हो सकते हैं, परन्तु पर्यटक यानों के फ्लीट में कम से कम दो कार हों ;

(ख) भूतपूर्व रक्षा कर्मियों के लिए पर्यटक परिवहन यानों के दो वर्ष तक कारबार में होने और तीन यान होने की शर्त शिथिलनीय है, परन्तु यह तब जब कि अभ्यर्थी पुनर्वास महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समर्थित हो । ऐसे कार्मिकों की दशा में, वे केवल एक पर्यटक यान से पर्यटक परिवहन कारबार चला सकते हैं । तथापि, ऐसे भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों को, जो इस स्कीम के अधीन आवेदन करते हैं, पर्यटन परिवहन कारबार को स्वयं चलाना चाहिए और अन्य वित्त दाताओं का भाड़े का आदमी नहीं होना चाहिए ;

(ग) पर्यटक परिवहन आपरेटर के अनुमोदन के लिए दो वर्ष की अवधि तक प्रचालन में होने की शर्त को भी उन आवेदकों के दशा में शिथिल की जा सकेगी, जिन्होंने अपना कारबार नीचे वर्णित केन्द्रों में उपस्थित किया है :—

(1) अमृतसर (पंजाब)

(2) बोधगया (बिहार)
(3) भोपाल (मध्य प्रदेश)
(4) भुवनेश्वर (उड़ीसा)
(5) चंडीगढ़
(6) गोवा
(7) हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
(8) हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)
(9) खजुराहो (मध्य प्रदेश)
(10) पोर्टब्लेयर (अंदमान और निकोबार द्वीप)
(11) पठान कोट (पंजाब)
(12) श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)
(13) तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु)
(14) उदयपुर (राजस्थान)
(15) विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)

4. पर्यटक परिवहन आपरेटर से मान्यता के लिए आवेदन करते समय एक बार में 500 रु. की अप्रतिदेय फीस का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी । फीस बैंक ड्राफ्ट के रूप में वेतन और लेखा अधिकारी, पटना विभाग को संदेय होगी ।

5.आवेदक को आय-कर निर्धारिती होना चाहिए और इस सबूत के रुप में कि उसने चालू निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर विवरणी फाइल की है, अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए ।

6. मान्यता के मामले में भारत सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा । भारत सरकार, अपने विवेकानुसार किसी फर्म को मान्यता देने से इंकार कर सकेगी या पहले से अनुदत्त मान्यता किसी भी समय कोई कारण बताए बिना वापस ले सकेगी विधारित कर सकेगी ।

7. एक बार प्रदान की गई मान्यता, उनके उस कारबार में बने रहने और उनकी आय-कर की अपेक्षित विवरणी तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए, तब तक बनी रहेगी जब तक कि उसे प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता ।

8. मान्यता अनुदत्त पर्यटक परिवहन आपरेटर, ऐसे प्रोत्साहन और रियायतों का, जो सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाएं, हकदार होगा और समय-समय पर यथा-विहित मान्यता के निबन्धनों और शर्तों का पालन करेगा ।

आ. अनुमोदित यात्रा अभिकरण के रुप में मान्यता के लिए पात्रता शर्तें ।

1. मान्यता के लिए सभी आवेदन पर्यटक महानिदेशक, परिवहन भवन, सं. 1 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 के पते पर भेजें जाएंगें ।

2. पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्तें यात्रा अभिकरण द्वारा अवश्य पूरी की जानी चाहिए :—

(i) मान्यता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन विहित प्ररूप में होगा ।

(ii) यात्रा अभिकरण के पास न्यूनतम 2.00 लाख रुपए की समादत्त पूंजी हों, जो संपरीक्षित तुलन-पत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र द्वारा सम्यक रूप से समर्थित हो ।

(iii) यात्रा अभिकरण, अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संगम (अ.वा.प.सं.) या किसी अन्तराष्ट्रीय वायु परिवर्तन संगम सदस्य एयरलाइन्स के साधारण विक्रय अभिकर्ता (सा.वि.अ.) द्वारा अनुमोदित होना चाहिए ।

(iv) यात्रा अभिकरण के पास उनके कर्मचारिवृन्द के ऐसे पूर्णकालिक सदस्य के प्रभार में एक कार्यालय हो, जो टिकट, यात्राओं परिवहन, वास-सुविधाओं करेंसी, सीमाशुल्क विनियमों तथा अन्य यात्रा और पर्यटन-संबंधी सेवाओं से संबंधित विषयों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित अनुभवी हो ।

(v) यात्रा अभिकरण आवेदन की तारीख से पहले एक वर्ष की अवधि तक प्रचालन में रहा हो ।

(vi) यात्रा अभिकरण आय-कर निर्धारिती हो और उसने चालू निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर विवरणी फाइल की हो ।

3. यात्रा अभिकरण के रूप में एक बार प्रदान की गई मान्यता, यथास्थिति, उसकी अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संगम की सदस्यता बनी रहने या अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संगम एयरलाइन्स के साधारण विक्रय अभिकर्ता के रूप में बने रहने और उसकी आय-कर की अपेक्षित वार्षिक विवरणी तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए, तब तक बनी रहेगी जब तक कि उसे वापस नहीं ले लिया जाता ।

4. यात्रा अभिकरण से मान्यता के लिए आवेदन करते समय एक बार में 1,000 रु. की अप्रितदेय फीस का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी । फीस बैंक ड्राफ्ट के रूप में वेतन और लेखा अधिकारी, पर्यटन विभाग को संदेय होगी । प्रत्येक शाखा कार्यालय की मान्यता के लिए फीस 500 रु. होगी ।

5. मान्यता, यात्रा अभिकरण के मुख्यालय कार्यालय को प्रदान की जाएगी । शाखा कार्यालयों को मुख्यालय कार्यालय के साथ या बाद में अनुमोदित किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि शाखा कार्यालयों की विशिष्टियां पर्यटन विभाग को प्रस्तुत की जाती हैं और उसके द्वारा स्वीकार कर ली जाती है ।

6. मान्यता के मामले में भारत सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा । भारत सरकार, अपने विवेकानुसार, किसी फर्म की मान्यता देने से इंकार कर सकेगी या पहले से प्रदान

की गई मान्यता को किसी भी समय कोई कारण बताए बिना वापस ले सकेगी । विधारित कर सकेगी ।

7. मान्यता अनुदत्त यात्रा अभिकरण, ऐसे प्रोत्साहन और रियायतों का, जो सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाएं, हकदार होगा और समय-समय यथाविहित मान्यता के निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा ।

8 इ. अनुमोदित पर्यटन आपरेटर के रूप में मान्यत के लिए पात्रता शर्तें :–

1. मान्यता के लिए सभी आवेदन, पर्यटन महानिदेशक, परिवहन भवन, सं. 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पते पर भेजे जाएंगें ।

2. (i) मान्यता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन विहित प्रारूप में होगा ।

(ii) पर्यटन आपरेटर के पास न्यूनतम 1.00 लाख रुपए की समादत्त पूंजी होनी चाहिए, जो नवीनतम संपरीक्षित तुलन पत्र । चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण-पत्र द्वारा सम्यक रूप में समर्थित हो ।

(iii) फर्म द्वारा विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपए के रूप में केरव पर्यटन प्रनाला से व्यापारावर्ध न्यूनतम 5.00 लाख रुपए होना चाहिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो ।

(iv) पर्यटन आपरेटर के पास उसके कर्मचारिवृन्द के ऐसे पूर्णकालिक सदस्य के प्रभार में एक कार्यालय हो, जो परिवहन, वास-सुविधा, करेंसी, सीमाशुल्क, विनियमों तथा यात्रा और पर्यटन-संबंधी सेवाओं के बारे में साधारण जानकारी से संबंधित विषयों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित अनुभवी हो ।

(v) पर्यटन आपरेटर आवेदन की तारीख से पहले कम से कम एक वर्ष की अवधि तक प्रचालन में रहा होना चाहिए ।

(vi) पर्यटक आपरेटर को आय-कर निर्धारिती होना होगा और उसने चालू निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर विवरणी फाइल की हो ।

3. अनुमोदित पर्यटन आपरेटर के रूप में एक बार प्रदान की गई मान्यता, उनके इस कारबार में बने रहने और उनकी आय कर की अपेक्षित वार्षिकी विवरणी तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसे वापस नहीं ले लिया जाता ।

4. पर्यटन आपरेटर मे मान्यता के लिए आवेदन करते समय एक बार में 1000 रु. की अप्रतिदेय फीस का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी । फीस बैंक ड्राफ्ट के रूप में वेतन और लेखा अधिकारी, पर्यटन विभाग को संदेय होगी । प्रत्येक शाखा कार्यालय की मान्यता के लिए फीस 500 रु. होगी ।

5. मायता पर्यटन आपरेटरों के मुख्यालय कार्यालय को प्रदान की जाएगी । शाखा कार्यालयों को मुख्यालय कार्यालय के साथ या बाद में अनुमोदित किया जाएगा ।

परन्तु यह तब जबकि शाखा कार्यालयों की विशिष्टियां पर्यटन विभाग को प्रस्तुत की जाती हैं और उसके द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं ।

6. मान्यता के मामले में पर्यटन विभाग, भारत सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा । भारत सरकार, अपने विवेकानुसार किसी फर्म की मान्यता देने से इंकार कर सकेगी या पहले से प्रदान की गई मान्यता को किसी भी समय कोई कारण बताए बिना वापस ले सकेगी । विधारित कर सकेगो ।

7. मान्यता अनुदत्त पर्यटन आपरेटर, ऐसे प्रोत्साहन और रियायतों का, जो सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाएं, हकदार होगा और पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर, यथाविहित मान्यता के निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा ।

पांचवी अनुसूची

[नियम 15 (2) देखिए]

अ. अनुमोदित पर्यटक परिवहन आपरेटर के रूप में मान्यता के लिए आवेदन का प्ररुप

1. फर्म का नाम पता टेलिफोन टेलेक्स और फेक्स संख्यांक सहित ।

2. फर्म की प्रकृति और उसके रजिस्ट्रीकरण कारबार के प्रारंभ की तारीख दस्तावेजी सबूत सहित ।

3. क्या कार्यालय आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित है ।

4. स्वत्वधारी प्रबन्ध निदेशक का नाम अनुभव अर्हताएं ।

5. कर्मचारिवृन्द की जिसके अन्तर्गत ड्राइवर भी हैं, कुल संख्या ।

6. यात्रा अभिकर्ताओं पर्यटन आपरेटरों होटलों एयर लाइन्स के नाम, जिनके साथ अधिकतर कारबार किया जाता है ।

7. कृपया चालू निर्धारण वर्ष की आय-कर विवरणी के संबंध में अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र की प्रति सहित आवेदन की तारीख के पूर्ववर्ती वर्ष संबंधी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित संपरीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि विवरण की प्रति संलग्न करें ।

8. कृपया आवेदन की तारीख को जो ऋण और बंधक हैं, उन्हें उपदर्शित करें ।

9. यानों की, अर्थात् वातानुकूलित कोचों ,अवातानुकूलित कोचों मिनी कोचों कारों और नौकाओं को जो पर्यटक यानों के रूप में चलाई जाती है संख्या, उनके मैक माडल और रजिस्ट्रीकरण सहित ।

10. पर्यटक यानों के लिए सड़क परिवहन प्राधिकरण राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विधिमान्य परमिटों और पर्यटन यात्रों की रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र पुस्तिकाओं की अनुप्रमाणित प्रतियां दी जानी चाहिए ।

11. बेतन और लेखा अधिकारी, पर्यटन विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में 500 रु. के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट का संख्यांक और तारीख ।

हस्ताक्षर———————————

पदनाम ———————————

कंपनी की रबड़ की मोहर

आ. अनुमोदित यात्रा अभिकरण के रूप में मान्यता के लिए आवेदन का प्ररूप ।

1. प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालयों के नाम और पते ।

2. फर्म की प्रकृति और वह वर्ष जब फर्म का रजिस्ट्रीकरण किया गया था या कारबार प्रारंभ किया गया था, दस्तावेजी सबूत सहित ।

3. निदेशकों भागीदारों, आदि के नाम/अन्य कारबार में उनके हितों के, यदि कोई है, ब्यौरे भी उपदर्शित किए जाएं ।

4. नियोजित कर्मचारिवृन्द, उनकी अर्हताओं, अनुभव, वेतन और फर्म में से बाकल की विशिष्टियां दें ।

5. बैंककारों के नाम (कृपया अपने बैंककारों से एक प्रतिनिर्देश संलग्न करें ।) ।

6. लेखा परीक्षकों के नाम/कंपनी विधि के अधीन यथाविहित यात्रा कारबार से संबंधित तुलनपत्र तथा लाभ और हानि विवरण प्रत्येक आवेदक द्वारा अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए । ये संपरीक्षित विवरण गत समाप्त हुए वित्तीय वर्ष या आपके आवेदन के प्रतुस्त किए जाने की तारीख के ठीक पूर्व के कलैंडर वर्ष के लिए आपके स्थापन के संबंध में होने चाहिए । निम्नलिखित विवरण में अपने व्यापारावर्त के ब्यौरे भी प्रस्तुत करें :—

संबंद्ध यात्रा अभिकरण का नाम और उसकी विशिष्टियां

(क) समावत पूंजी

(ख) ऋण

(i) प्रतिभूत

(ii) अप्रतिभूत

(ग) आरक्षिति

(घ) चालू दायित्व और उपलब्ध

(ङ) स्थिर आस्तियां (जिसके अन्तर्गत अभूर्त आस्तियां नहीं है)

(च) विनिधान

(छ) चालू आस्तियां

(ज) अमूर्त आस्तियां

योग :

टिप्पण :—

(i) आरक्षिति में लाभ और हानि लेखा का अतिशेष सम्मिलित होगा और कराधान आरक्षिति अपवर्जित होगी ।

(ii) चालू दायित्वों और उपबंधों में कराधान आरक्षिति सम्मिलित होगी ।

(iii) चालू आस्तियों में अन्यान्य ऋण, ऋण और अग्रिम नकद और बैंक अतिशेष सम्मिलित होंगे ।

(iv) अपूर्व आस्तियों में गुडविल, प्रारंभिक व्यय अभिधारण और कारबार अधिकार आस्थगित राजस्व व्यय संचित हानि आदि सम्मिलित होंगे ।

7. चालू निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर विवरणी के संबंध में अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए ।

8. क्या फर्म द्वारा यात्रा संबंधित क्रियाकलाप के अलावा कोई अन्य क्रियाकलाप किए जाते हैं ।

9. कृपया फर्म द्वारा धारित वायु/पोत परिवहन/रेल टिकट अभिकरणों को उपदर्शित करें ।

10. कृपया अन्तराष्ट्रीय यात्रा संगठनों की, यदि कोई हैं, सदस्यता उपदर्शित करें ।

11. अन्तराष्ट्रीय वायु परिवहन संगम का अनुमोदन पत्र और चालू वर्ष के लिए पृष्ठांकन प्रमाणपत्र संलग्न करना चाहिए । किसी अन्तराष्ट्रीय वायु परिवहन संगम एयरलाइन्स के साधारण विक्रय अभिकरणों को इस संबंध में दस्तावेजी सबूत संलग्न करना चाहिए ।

12. कृपया मान्यता के लिए फीस के रूप में प्रधान कार्यालय के लिए 1,000 रु. और प्रत्येक शाखा कार्यालय के लिए 500 रु. का मांगदेय ड्राफ्ट संलग्न करें और इस स्तंभ में मांगदेय ड्राफ्ट सं. तारीख और रकम का उल्लेख करें ।

स्वत्वधारी/भागीदार/प्रबंध निदेशक

के हस्ताक्षर

रबड़ की मोहर

इ. अनुमोदित पर्यटन आपरेटर के रूप में मान्यता के लिए आवेदन का प्ररूप

1. प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालयों के नाम और पते ।

2. फर्म की प्रकृति और वह वर्ष जब फर्म का रजिस्ट्रीकरण किया गया था या कारबार प्रारंभ किया गया था, दस्तावेजी सबूत सहित ।

3. निदेशकों भागीदारों आदि के नाम अन्य कारबार में उनके हितों के, यदि कोई है ब्यौरे भी उपदर्शित किए जाएं ।

4. नियोजित कर्मचारिवृन्द, उनकी अर्हताओं, अनुभव, वेतन और फर्म में सेवाकाल की विशिष्टियां हैं ।

5. बैंककारों के नाम (कृपया अपने बैंककारों से एक प्रतिनिर्देश संलग्न करें)।

6. लेखा परीक्षकों के नाम कंपनी विधि के अधीन यथाविहित पर्यटन प्रचालन कारबार से संबंधित तुलनपत्र तथा लाभ और हानि विवरण प्रत्येक आवेदक द्वारा अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये संपरीक्षित विवरण गत समाप्त हुए वित्तीय वर्ष या आपके आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख के ठीक पूर्व के कलैंडर वर्ष के लिए आपके स्थापन के संबंध में होने चाहिए। निम्नलिखित विवरण में अपने व्यापारावर्त के ब्यौरे भी प्रस्तुत करें :–

संबद्ध पर्यटन आपरेटर का नाम और उसकी विशिष्टियां

(क) समादत्त पूंजी

(ख) ऋण

(i) प्रतिभूत

(ii) अप्रतिभूत

(ग) आरक्षिति

(घ) चालू दायित्व और उपबंध

योग :

(ङ) स्थिर आस्तियां (जिसके अन्तर्गत अमूर्त आस्तियां नहीं है)

(च) विनिधान

(छ) चालू आस्तियां

(ज) अमूर्त आस्तियां

योग :

टिप्पण :–

(i) आरक्षिति में लाभ और हानि लेखा का अतिशेष सम्मिलित होगा और कराधान आरक्षिति अपवर्जित होगी।

(ii) चालू दायित्व और उपबंधों में कराधान आरक्षिति सम्मिलित होगी।

(iii) चालू आस्तियों में अन्यत्र ऋण, ऋण और अग्रिम नकद और बैंक अतिशेष सम्मिलित होंगे।

(iv) अपूर्त आस्तियों में गुडविल, प्रारंभिक व्यय, अतिशेष और कारबार अधिकार, आस्थगित राजस्व व्यय, संचित हानि, आदि सम्मिलित होंगे।

7. चालू निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर विवरणी के संबंध में अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

8. क्या फर्म द्वारा पर्यटन प्रचालन के अलावा कोई अन्य क्रियाकलाप किए जाते है।

9. अंतराष्ट्रीय यात्रा प्रचालन का सदस्य।

10. (क) आवेदन की तारीख तक संचालित पर्यटक यातायात के परिमाण के ब्यौरे दीजिए, जिसमें विदेशी और अंतर्देशीय पर्यटक यातायात को पृथक्-पृथक् दर्शित किया गया हो। कृपया चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक प्रमाणपत्र पेश प्रस्तुत करें। इस प्रमाण-पत्र में पर्यटन प्रचालन से केवल वित्तीय वर्ष या आपके आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख के ठीक पूर्व के कलैंडर वर्ष के दौरान प्राप्त रसीदें दर्शित होनी चाहिए।

(ख) ग्राहक, यदि विशेष पर्यटक समूहों का संचालन किया गया हो तो उनका परिमाण, आवृत्ति आदि।

(ग) देशी पर्यटक यातायात के संवर्धन के लिए उठाए गए कदम और संचालित समूहों के ब्यौरे, यदि कोई हों।

(घ) विदेशी पर्यटकों के लिए, आयोजित विशेष कार्यक्रम, यदि कोई हों।

11. संचालित सम्मेलनों की यदि कोई हो संख्या और अवस्थानों आदि के ब्यौरे सहित ऐसे सम्मेलनों के लिए यात्रियों की कुल संख्या।

12. संचालित प्रोत्साहन पर्यटन की संख्या।

13. कृपया मान्यता के लिए फीस के रूप में प्रधान कार्यालय के लिए 1000 रु. और प्रत्येक शाखा कार्यालय के लिए 500 रु. का मांगदेय ड्राफ्ट संलग्न कीजिए और इस सम्बन्ध में मांगदेय ड्राफ्ट सं०, तारीख और रकम का उल्लेख कीजिए।

स्वत्वधारी/भागीदार/प्रबन्ध निदेशक के हस्ताक्षर

फर्म की रबड़ की मोहर

छठी अनुसूची

[नियम 15(3) देखिए]

मान्यता प्रमाण पत्र

संख्यांक——————————तारीख——————

प्रमाणित किया जाता है कि——————————

——————————————

(आवेदक का नाम और पता)

——————————अनुमोदित रूप में पर्यटन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है।

स्थान——————

महानिदेशक (पर्यटन)

[फा.सं. आर.टी.-11053/1/94-एम.बी.एन.]

सी. के. खैरवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :– मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 591 (अ) तारीख 10 अगस्त, 1993 के द्वारा प्रकाशित किए गये।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 1995

G.S.R. 286(E).—Whereas the draft of the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Amendment Rules, 1994 which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by sub-section (14) of section 88 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), was published vide notification GSR 648(E), dated the 19th August, 1994, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 3, Sub-Section (i) dated the 19th August, 1994, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within 45 days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available on 9-1-1995 and whereas objections received have been considered.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (14) of section 88 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993, namely :—

1. These rules may be called the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Amendment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, (i) for Clause (g), the following shall be substituted, namely :—

'(g) "Tourist Transport Operator" means :—

(a) A company or a individual engaged in a business of promotion of tourism by prviding tourist transport vehicles on tourist circuits;
or

(b) any travel agency (who possess his own vehicle or have taken a vehicle on lease for this purpose for a period of atleast one year) run by a company or an individual provides all tickets for travel by air, rail, ship passport, visa and also arrange accommodation, tours, entertainment and other tourism related services; or

(c) the tour operator (Company or individual who provides for transport, accommodation, sight-seeing, entertainment and other tourist related services for tourist, and who possesses his own vehicle or has taken a vehicle on lease for this purpose for a period of atleast one year and is recognised by the Department of Tourism of the Government of India;

(ii) After clause (g), the following clause shall be inserted, namely :

'(h) "Tourist Circuit" means all places of tourist interest situated in a State for which package tours are prepared and sold by the recognised tourist transport operator.

Explanation :—For the purpose of removal of doubts, it is clarified that the permit covering such tourist circuits shall be valid throughout the State.

4. In the said Rules, in Rule 10, for figures "35", the figures "39" shall be substituted.

5. In the said rules, for Schedules Fourth, Fifth and Sixth, the following shall be substituted, namely :

FOURTH SCHEDULE

See Rule 15(1)

A. ELIGIBILITY CONDITION FOR RECOGNITION AS APPROVED TOURIST TRANSPORT OPERATOR.

1. All applications for recognition shall be addressed to the Director General of Tourism, Transport Bhavan, No. 1, Parliament Steet, new Delhi-110001.

2. (i) The applications for grant of recognition shall be in the prescribed form.

(ii) The applicant has been in the tourist transport hire business for a minimum period of 2 years at the time of application.

(iii) The tourist Transport Operator has operated in the above 2 years period a minimum number of 3 tourist permits issued by the concerned State Transport Authority/Road Transport Authority for tourist vehicles. Out of these three tourist vehicles atleast one must be a car.

(iv) The applicant has adequate knowledge of handling the tourist transport vehicles for transferring tourist from the Airport, Railway Stations, etc. and for sight-seeing of tourists both foreign and domestic.

(v) The drivers of the tourist vehicles have proper uniform and adequate knowledge of taking the tourist for sight-seeing.

(vi) The applicant has proper parking space for the vehicles.

(vii) The Tourist Transort Operator is registered with the appropriate authority for carrying on the business of operating tourist transport vehicles.

3. (a) The two years period of operating the Tourist Transport business may be relaxable to 1 year in the case of those applicants who have operated 5 tourist vehicles with the proper State Transport Authority/Road Transport Authority permits for 1 year. These 5 tourist vehicles could be in any combination of cars/Air-conditioned Coaches/Mini Coaches/Boats provided there are minimum of atleast 2 cars in the fleet of tourist vehicles.

(b) For Ex-Defence personnel the condition of being in the business of tourist transport vehicles for

two years and having 3 vehicles is relaxable provided the candidate is sponsored by the Director General of Resettlement, Ministry of Defence, New Delhi. In the case of such personnel they can operate the tourist transport business with 1 tourist vehicle only. However, the Ex-Defence personnel who apply under this scheme must themselves operate the tourist transport business and should not be hiremen of other financiers.

(c) The condition of being in operation for 2 years period for tourist transport operator's approval may also be relaxable in the case of those applicants who have located their business at the centres mentioned below :—

(i) Amritsar (Punjab)

(ii) Bodhagaya (Bihar)

(iii) Bhopal (Madhya Pradesh)

(iv) Bhubaneshwar (Orissa)

(v) Chandigarh

(vi) Goa

(vii) Hyderabad (Andhra Pradesh)

(viii) Hardwar (Uttar Pradesh)

(ix) Khajuraho (Madhya Pradesh)

(x) Port Blair (The Andman and Nicobar Island)

(xi) Pathankot (Punjab)

(xii) Srinagar (Jammu & Kashmir)

(xiii) Tiruchirapalli (Tamil Nadu)

(xiv) Udaipur (Rajasthan)

(xv) Visakhapatnam (Andhra Pradesh)

4. The Tourist Transport Operator will be required to pay a non-refundable one time fee of Rs. 500 while applying for the recognition. The fee will be made payable to the Pay and Accounts Officer, Department of Tourism in the form of a Bank Draft.

5. The applicant should be income tax assessee and should submit copy of acknowledgement certificate as proof of having filed income tax return for current assessment year.

6. The decision of the Government of India in the matter of recognition shall be final. The Government of India may in their discretion refuse to recognise any firm or withdraw|withhold at any time recognition already granted without assigning any reason.

7. Recognition once granted shall continue unless revoked and subject to their continuance in this business and their submitting the requisite return of Income Tax and other particulars.

8. Tourist Transport Operator granted recognition shall be entitled to such incentives and concessions as may be granted by Government from time to time and shall abide by the terms and conditions of recognition as prescribed from time to time.

B. ELIGIBILITY CONDITIONS FOR RECOGNITION AS APPROVED TRAVEL AGENCY

1. All applications for recognition shall be addressed to the Director General of Tourism, Transport Bhavan, No. 1, Parliament Street, New Delhi-110001.

2. The following conditions must be fulfilled by the Travel Agency for grant of recognition by Department of Tourism :—

(i) The application for grant of recognition shall be in the prescribed form.

(ii) The Travel Agency has a minimum paid-up capital of Rs. 2.00 lakhs duly supported by the audited balance sheet|Chartered Accountant's certificate.

(iii) The Travel Agency should be approved by International Air Transport Association (IATA) or General Sales Agent (GSA) of an International Air Transport Association member Airlines.

(iv) The Travel Agency has an office under the charge of a full time member of their staff, who is adequately trained|experienced in matters regarding ticketing, itineraries, transport, accommodation facilities, currency, customs regulations and other travel and tourism related services.

(v) The Travel Agency has been in operation for a period of one year before the date of application.

(vi) The Travel Agency is an income-tax assessee and has filed Income Tax Return for the current assessment year.

3. Recognition as Travel Agency once granted shall continue unless withdrawn and subject to their continued membership of International Air Transport Association or continuance as General Sales Agent of an International Air Transport Association member airlines, as the case may be, and their submitting the requisite annual return of Income Tax and other particulars.

4. The Travel Agency will be required to pay a non-refundable one time fee of Rs. 1000 while applying for the recognition. The fee will be payable to the Pay and Accounts Officer, Department of Tourism, in the form of a Bank Draft. Fee for recognition of each Branch Office will be Rs. 500.

5. Recognition will be granted to the Headquarters Office of the Travel Agency. Branch Offices will be approved alongwith the Headquarters Office or subsequently, provided the particulars of Branch Offices are submitted to Department of Tourism and accepted by it.

6. The decision of the Department of Tourism, Government of India, in the matter of recognition shall be final. The Government of India may, in their discretion refuse to recognise any time or withdraw|withhold at any time recognition already granted without assigning any reason.

7. Travel Agency granted recognition shall be entitled to such incentives and concessions as may be

granted by the Government of India from time to time and shall abide by the terms and conditions of recognition as prescribed from time to time.

C. ELIGIBILITY CONDITIONS FOR RECOGNITION AS APPROVED TOUR OPERATOR

1. All applications for recognition shall be addressed to the Director General of Tourism, Transport Bhawan, No. 1, Parliament Street, New Delhi-110001.

2. (i) The application for grant of recognition shall be in the prescribed form.

(ii) The Tour Operator should have a minimum paid-up capital of Rs. 1.00 lakh duly supported by the latest audited balance sheet| Chartered Accountant's Certificate.

(iii) The turn-over in terms of foreign exchange or Indian rupees by the firm from tour operation only should be a minimum of Rs. 5.00 lakhs duly supported by Chartered Accountant's certificate.

(iv) The Tour Operator has an office under the charge of a full time member of their staff, who is adequately trained|experienced in matters regarding transport, accommodation, currency, customs regulations and general information about travel and tourism related services.

(v) The Tour Operator should have been in operation for a minimum period of one year before the date of application.

(vi) The Tour Operator will have to be income tax assessee and should have filed Income Tax return for the current assessment year.

3. The recognition as Approved Tour Operator once granted shall continue unless withdrawn subject to their continuance in this business and their submitting the requisite annual return of Income Tax and other particulars.

4. The Tour Operator will be required to pay a non-refundable one time fee of Rs. 1,000 while applying the recognition. The fee will be made payable to the Pay and Accounts Officer, Department of Tourism in the form of a Bank Draft. The fee for recognition of each Branch Office will be Rs. 500.

5. Recognition will be granted to the Headquarters Office of Tour Operators. Branch Offices will be approved alongwith the Headquarters office or subsequently, provided the particulars of the Branch Offices submitted to Department of Tourism and accepted by it.

6. The decision of the Department of Tourism, Government of India in the matter of recognition shall be final. The Government of India may, in their discretion, refuse to recognise or withdraw|withhold at any time recognition already granted without assigning any reason.

7. Tour Operator granted recognition shall be entitled to such incentives and concessions as may be granted by Government from time to time and shall abide by the terms and conditions of recognition as prescribed from time to time by the Department of Tourism, Government of India.

FIFTH SCHEDULE

See Rule 15(2)

A. APPLICATIONS FORM FOR RECOGNITION AS APPROVED TOURIST TRANSPORT OPERATOR

1. Name of the firm with address, telephone, telex and tax number.

2. Nature of the firm and date of registration| commencement of business with documentary proof.

3. Whether the office is located in residential| commercial|industrial area.

4. Name, experience, qualifications of the proprietor|Managing Director.

5. Total number of staff including Drivers.

6. Name of the Travel Agents|Tour Operators| Hotels Airlines with whom most business is transacted.

7. Please attach a copy of the audited balance sheet and profit and loss statement duly certified by the Chartered Accountant for the year preceding the date of application alongwith copy of acknowledgement certificate, in respect of Income Tax Return for current assessment year.

8. Please indicate the loans and mortagages as on the date of application.

9. Number of Vehicles viz. Airconditioned coaches, non-Air conditioned Coaches, Mini Coaches, cars and Boats operated as tourist vehicles with their make, model and Registration.

10. Attested copies of valid permits issued by Road Transport Authority|State Transport Authority for tourist vehicles and Registered Certificate Books of Tourist vehicles should be furnished.

11. Number and date of Bank Demand Draft for Rs. 500 in favour of Pay and Accounts Officer, Department of Tourism, New Delhi.

Signature .....

Designation .....

Rubber stamp of company .....

B APPLICATION FORM FOR RECOGNITION AS APPROVED TRAVEL AGENCY

1. Name and address of Head Office and Branch Offices.

2. Nature of the firm and the year when the firm was registered or commenced business with documentary proof.

3. Name of Directors|Partners etc. The details also be indicated.

4. Give particulars of staff employed, their qualifications, experience, salary and length of of their interests if any, in other business service with the firm.

5. Name of Bankers (Please attach a reference from your bankers).

6. Name of Auditors. A balance-sheet and Profit and Loss statement pertaining to the travel business, as prescribed under Company Law, must be submitted by each applicant. These audited statements should be in respect of your establishment for the last completed financial year or for the calendar year immediately preceding the date of submission of your application. Also furnish details of your turnover in the following statement :—

Name and particulars of the Travel Agency concerned

(a) Paid up capital

(b) Loans

(i) Secured

(ii) Unsecured

(c) Reserves

(d) Current liabilities and provision

(e) Fixed Assets (excluding Intangible assets)

(f) Investment

(g) Current Assets

(h) Intangible assets.

Total ————————

NOTES :

(i) Reserves would include balance of Profit and Loss Account and would exclude taxation reserve.

(ii) Current liabilities and provisions would include taxation reserve.

(iii) Current assets would include sundry debts, loans and advances, cash and bank balance.

(iv) Intangible assets would include goodwill, preliminary expenses, tenancy and business rights, deferred Revenue expenditure accumulated loss, etc.

7. Copy of acknowledgement certificate in respect of Income Tax Return for the current assessment year should be enclosed.

8. Whether any other activities are undertaken by the firm besides travel related activities.

9. Please indicate the air|shipping|railway ticketing agencies held by the firm.

10. Please indicate membership of International Travel Organisations, if any.

11. Letter of approval of International Air Transport Association, certificate of endorsement for current year should be enclosed. General Sales Agents of any International Air Transport Association Airlines should enclose documentary proof in this regard.

12. Please enclose Demand Draft of Rs. 1000 for Head Office and Rs. 500 for cash Branch Office as fee for recognition & mention the Demand Draft number, date and amount in this column.

Signature of the Proprietor|Partner Managing Director.

Rubber stamp :

C. APPLICATION FORM FOR RECOGNITION AS APPROVED TOUR OPERATOR

1. Name and address of Head Office and Branch Offices.

2. Nature of the firm and the year when the firm registered or commenced business with documentary proof.

3. Name of Directors|Partners etc. The details of their interests if any, in other business also be indicated.

4. Give particulars of staff employed, their qualifications, experience, salary and length of service with the firm.

5. Name of Bankers (Please attach a reference from your bankers).

6. Name of Auditors. A balance-sheet and Profit and Loss statement pertaining to the tour operation business, as prescribed under Company Law, must be submitted by each applicant. These audited statements should be in respect of your establishment for the last completed financial year or for the calender year immediately preceding the date of submission of your application. Also furnish details of your turnover in the following statement :—

Name and particulars of the Tour Operator concerned.

(a) Paid up capital

(b) Loans

(i) Secured

(ii) Unsecured

(c) Reserves

(d) Current liabilities and provision

(e) Fixed Assets (excluding Intangible assets)

(f) Investment

(g) Current Assets

(h) Intangible assets.
Total——————————

NOTES :

(i) Reserves would include balance of Profit and Loss Account and would exclude taxation reserve.

(ii) Current liabilities and provisions would include taxation reserve.

(iii) Current assets would include sundry debts, loans and advances, cash and bank balance.

(iv) Intangible assets would include goodwill, preliminary expenses, balance and business, rights, deferred Revenue expenditure accumulated loss, etc.

7. Copy of acknowledgement certificate in respect of Income Tax Return for the current assessment year should be enclosed.

8. Whether any other activities are undertaken by the firm besides Tour Operation.

9. Member of International Travel Operations.

10(a) Give details of volume of tourist traffic handled upto the date of application showing foreign and internal tourist traffic separately. Please submit a certificate from Chartered Accountant. This certificate should show the receipts from tour operation only during the financial year or the calendar year immediately preceding the date of submission of your application.

(b) Clientale - Special tourist groups handled, if any, their size, frequency etc.

(c) Steps taken to promote domestic tourist traffic and details groups handled if any.

(d) Special programmes, if any, arranged for foreign tourists.

11. Number of Conferences handled, if any, and the total number of passengers for such Conferences with details of location, etc.

12. Number of incentive tours handled.

13. Please enclose a Demand Draft of Rs. 1,000 for Head Office and Rs. 500 for each Branch Office as fee for recognition and mention the Demand Draft Number date and amount in this column.

Signature of the Proprietor|Partner| Managing Director.

Rubber stamp of the Firm

The Sixth Schedule
[See Rule 15(3)]

CERTIFICATE OF RECOGNITION

Number—————————— date ————
Certified that ——————————————
——————————————————
——————————————————

(Name and address of the Applicant)

is recognised by the Department of Tourism, Government of India, New Delhi as an approved——————.....
Place................

Director General (Tourism)

[File No. RT-11053|1|94-MVL]
C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

Note :—

The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification G.S.R. 541(A) dated 10-8-93.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995